प्रेषक,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड
23 लक्ष्मी रोड डालनवाला
देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य / वरिष्ठ /कोषाधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांक 1938 /अं0पें0यो0/नि0ले0ह0/2012–13, दिनांक 9-10, 2012।

विषयः– **राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना सम्बन्धी शासनादेश सं –643/XXVII(7) अं0पें0यो0/2010 दिनांक 11–08–2010 के स्पष्टीकरण सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है, कि वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन से अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या– 643/XXVII(7) अं0पें0यो0/2010 दिनांक 11–08–2010 का स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप सं0–241/XXVII(7)56 /2012 दिनांक 27–09–2012 निर्गत किया गया है। जिसमें Non - IRA compliance कार्मिकों के फार्म (Annexure S1) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर 2012 तक (आबंटित प्रान व पी0पी0ए0एन0 भरकर) कोषागारों में जमां करवाने, कार्मिकों के वर्षवार लेजर/पासबुक तैयार करने तथा फार्म (Annexure S2) के द्वारा Re-issue of I-PIN तथा Re-issue of PRAN card हेतु शुल्क जमां करवाने आदि के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। इसकी प्रति इस आशय से उपलब्ध करायी जा रही हैं कि शासन के निर्देशों का कोषागार स्तर पर अनुपालनसुनिश्चित किया जाय। कार्यालय ज्ञाप की छाया प्रति समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाये ताकि शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन हो सके।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी0 के0 गोयल)
निदेशक,

प्रतिलिपिः– अपर निदेशक, डाटा सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न शासनादेश की प्रति को कोषागार सर्वर में अपलोड कर कोषागारों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(पी0 के0 गोयल)
निदेशक,

निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून — 6428 — दि0 11/10/12

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0--7
संख्या:२५१/xxvii(7)56/2012
देहरादून, दिनांक:२७ सितम्बर,2012

कार्यालय ज्ञाप

सहा०...
निदेशालय लेखा एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर,2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या:XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 25 अक्टूबर,2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) लागू है। उक्त के संबंध में दो महत्वपूर्ण शासनादेश संख्या:210/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 03 जुलाई,2008 व संख्या: 643/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 11 अगस्त,2010 द्वारा निर्गत किये गये है।

2– इस योजना की प्रगति समीक्षा में पाया गया कि योजना के सफल कियान्वयन में कतिपय बिन्दुओं पर शासन के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है एवं कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नवत् बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) शासनादेश संख्या: 643/XXVII(7)अ.पे.यो./2008 दिनांक 11 अगस्त 2010 के प्रस्तर–3 में उल्लेख है कि "जिन कार्मिकों को साफ्ट कापी के माध्यम से प्रान हुए है, उन्हें सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित हार्ड कापी (Form S1) को भी भरकर अविलम्ब कोषागारों के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और इसी के आधार पर ही सी0आर0ए0 द्वारा कार्मिकों का सम्पूर्ण डाटा अपडेट कर प्रान किट उपलब्ध करायी जायेगी।" उक्त का अनुपालन आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस कारण कार्मिकों को सी0आर0ए0 द्वारा प्रान किट प्राप्त नहीं हो रहीं है। प्रान किट के अभाव में योजना से आच्छादित कार्मिक सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं (जमा धनराशि का विवरण देखना, निवेश की स्थिति, आदि) का लाभ नहीं ले सकते है। अर्थात सिस्टम में उपलब्ध पारदिर्शिता का लाभ अभिदाता को नहीं मिल रहा है। उक्त फार्म यथाशीघ्र भरवाने हेतु पी0एफ0आ0डी0ए0 व सी0आर0ए0 द्वारा शासन स्तर पर बार–बार पत्राचार किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में यह व्यवस्था की जाती है, कि जिन कार्मिकों को साफ्ट डाटा के माध्यम से प्रान आंवटित हुए है, अर्थात जिनको प्रान कार्ड प्राप्त नहीं हुए है, के फार्म (Annexure S1) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 31 अक्टूबर 2012 तक (आंवटित प्रान व पी0पी0ए0एन0 भरकर) कोषागारों में जमा नहीं करवायें जाते है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का वेतन आहरण कोषागारों द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि संबंधित सभी फार्म जमा नहीं हो जाते । कोषागारों द्वारा प्राप्त फार्म भली भांति परीक्षणोंपरान्त अविलम्ब सी0आर0ए0 एफ0सी0 में जमा करा दिये जाए।

(2) नव नियुक्त कार्मिकों के वेतन से संबंधित प्रपत्र–1 के साथ प्रान फार्म (Annexure S1) भरवाये जायें।

(3) शासनादेश दिनांक 11 अगस्त,2010 के प्रस्तर–5(3) में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को योजना से आच्छादित कार्मिकों के वर्षवार लेजर/पासबुक 30 अक्टूबर,2010 तक तैयार करने के निदेश दिये गये थे परन्तु कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिकों की जमा धनराशि के अन्तिम आहरण (मृत्यु, सेवा निवृत्ति एवं त्याग पत्र आदि) हेतु मूल पासबुक प्रेषित नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कई आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पासबुक/लेजर तैयार नहीं किये जा रहे है। अतः समस्त कोषाधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किये जाता है कि वह आहरण वितरण अधिकारियों से कार्मिकों की पासबुक व लेजर कोषागार में मगवाकर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लें कि अंशदान की धनराशि का सही लेखाकंन हो रहा है।

(4) यह भी संज्ञान में आया है कि प्रान फार्म (Annexure S1) भरने के दौरान अभिदाता द्वारा व्यक्तिगत विवरण में हुई त्रुटियां के संशोधन की अपेक्षा की जा रही है। उक्त हेतु सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म (Annexure S2) में अभिदाता को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से कोषागारों में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है, जिसके द्वारा व्यक्तिगत विवरण, नामांकन में परिवर्तन, re-issue of i-PIN, re-issue of PRAN Card हेतु आवेदन किया जा सकता है।

अभिदाताओं को सी0आर0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये i-PIN (login id & Password) को बार–बार पुनः आंवटन (re-issue) करवाया जा रहा है, जिस पर सी0आर0ए0 द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। वर्तमान में यह शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब जिन कार्मिकों को अपने i–PIN पुनःआंवटन की आवश्यकता होगी, उनको फार्म (Annexure S2) के साथ उचित मूल्य (सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित, वर्तमान में ₹50.00) का चालान प्राप्ति लेखाशीर्षक 00710011701 में जमा कर संलग्न, कोषागार में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार जमा धनराशि का लेखा (विवरण) प्रत्येक माह कोषागारों द्वारा निदेशक लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त कोषागार संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को शासनादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए सूचित करना सुनिश्चित करें, ताकि उपरोक्त प्रकिया का पूर्णतः अनुपालन हो सकें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

संख्या: २५/XXVii(7)56 / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्याध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से कि उक्त शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
14. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
15. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।